बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY
ज्ञानम् परमम् ध्येयम्

दिनांक :
14 जनवरी 2026

प्रबंधन बोर्ड की सताईसवीं बैठक

कार्यवाही

स्थान:
सभागार कक्ष-०२
बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना – 800 014 (बिहार)

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

दिनांक–14.01.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सभागार कक्ष–II, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना बिहार विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में संपन्न प्रबंधन बोर्ड की सताईसवीं बैठक की कार्यवाही :–
व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति :

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	**डॉ० इन्द्रजीत सिंह,** कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।	अध्यक्ष
2.	**श्रीमती स्मिता सिन्हा,** अपर सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य (सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार का नामनिर्देशिति)
3.	**श्री शैलेश कुमार,** आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य (अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार का नामनिर्देशिति)
4.	**श्री मनोज कुमार,** अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य (प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार का नामनिर्देशिति)
5.	**डॉ० सुनील कुमार ठाकुर,** संयुक्त निदेशक, पशुपालन निदेशालय, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य (निदेशक पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार के नामनिर्देशिति)
6.	**श्री रामदयाल सिंह,** प्रगतिशील किसान, ग्राम+पोस्ट– धमार, थाना–मुफस्सिल, जिला–भोजपुर।	सदस्य
7.	**श्री के०पी०एस० केशरी,** विशिष्ट कृषि उद्योगपति, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, मेसर्स आम्रपाली फुड्स लि०, पटना।	सदस्य
8.	**श्रीमती भावना झा,** उत्कृष्ट महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता (पूर्व स०वि०स०), हनुमान नगर कॉलनी, नियर हनुमान मंदिर, स्टेशन रोड, मधुबनी, पिन–847211, बिहार।	सदस्य
9.	**डॉ० नरेश कुमार सिंह,** निदेशक अनुसंधान, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।	सदस्य
10.	**डॉ० उमेश सिंह,** अधिष्ठाता, संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना।	सदस्य
11.	**डॉ० जय किशन प्रसाद,** कुलसचिव (प्रभारी), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।	गैर सदस्य सचिव

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**Zoom Meeting**) के माध्यम से उपस्थिति :

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	डॉ० एन० एच० केलावाला Principal, College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Rajpur (Nava), Himmatnagar (Dist. Sabarkantha), Gujarat- 383010.	सदस्य
2.	डॉ० अनिल कुमार, सहायक महानिदेशक (Coordination), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।	सदस्य

विश्वविद्यालय के कुलसचिव (प्रभारी)–सह–प्रबंधन बोर्ड के गैर सदस्य सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए निवर्तमान अपर मुख्य सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना, डॉ० एन० विजयलक्ष्मी का प्रबंधन बोर्ड के सदस्य के तौर पर उनके योगदान को स्मरण करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया तथा विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराया गया। तदोपरांत परिचालित कार्यावली एवं अन्य मामलों पर सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय/प्रस्ताव पारित किये गये।

कार्यावली संख्या–27.1 **दिनांक–25.09.2025 को सम्पन्न बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रबंधन बोर्ड की 26वीं बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

विवरण :– प्रबंधन बोर्ड की 26वीं बैठक दिनांक–25.09.2025 को सम्पन्न हुई। छब्बीसवीं प्रबंधन बोर्ड की बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन विश्वविद्यालय ज्ञापांक–1251/कु०स०/बि०प०वि०वि०, पटना दिनांक–26.09.2025 द्वारा परिचालित है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अप्राप्त है।

परिचालित कार्यवाही प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय **सम्पुष्ट।**

कार्यावली संख्या–27.2 **दिनांक–25.09.2025 को सम्पन्न बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रबंधन बोर्ड की 26वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कृत कारवाई का संसूचन।**

विवरण :– दिनांक–25.09.2025 को सम्पन्न बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रबंधन बोर्ड की 26वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कारवाई की सूचना प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

1. स्वीकृत।

2. एतद्क्रम में मामूली सुझाव (minor suggestion) के साथ निम्न निर्णय लिया गया –

प्रबंधन बोर्ड की 26वीं बैठक की कार्यावली संख्या 26.3 द्वारा पैरावेट स्कूल की स्थापना हेतु (1) निम्नवर्गीय लिपिक एवं (2) अनुदेशक के स्थायी पद सृजन का प्रस्ताव प्रशासी विभाग को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था। एतद्आलोक में **अनुदेशक पद के स्थान पर पशु चिकित्सा पदाधिकारी (वेतन स्तर–9) के पद सृजन का सुझाव देते हुए प्रस्ताव पारित किया गया।** तद्नुरूप संशोधित प्रस्ताव प्रशासी विभाग को प्रेषित की जा सकेगी। शेष निर्णय यथावत रहेंगे।

कार्यावली संख्या–27.3 **विज्ञापन सं० 03/2025 द्वारा Assistant and Stenographer Grade-III, KVK, Jamui के पद पर दिनांक–12.11.2025 को संपन्न हुये लिखित प्रतियोगिता परीक्षा तथा कौशल जाँच (Shorthand Test) के उपरान्त मेधा सूची में अव्वल उम्मीदवार के चयन व नियुक्ति की सूचना।**

विवरण :— Assistant एवं Stenographer Grade-III, KVK, Jamui के पदों के लिये प्रकाशित विज्ञापन सं० 03/2025 के क्रम में प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग समिति की समीक्षा के उपरान्त Assistant के पद के लिए लिखित परीक्षा एवं Stenographer Grade-III के लिए लिखित परीक्षा तथा कौशल जाँच (Shorthand Test) आयोजित की गयी।

मेधा सूची में अव्वल उम्मीदवार Mr. Nirbhay Kumar Mishra, S/o-Shri Birendra Kumar Mishra तथा Mr. Vaibhaw Kumar Mishra, S/o-Shri Vinay Kumar Mishra को क्रमशः Assistant एवं Stenographer Grade-III, KVK, Jamui के पद के लिये चयनित हुये । इन उम्मीदवारों को क्रमशः N.No.-BASU/Reg./Rect./F.No.-372/393 (Memo No.-1528) dated 18.11.2025 and N.No.-BASU/Reg./ Rect./ F.No.-372/394 (Memo No.-1529) dated 18.11.2025 द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है। दोनों चयनित उम्मीदवार पद पर योगदान समर्पित कर चुके हैं।

उपरोक्त तथ्य प्रबंधन बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय — **नोट किया गया।**

कार्यावली संख्या—27.4 **पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज में वेटनरी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित MSVE-2016 मानकों को पूरा करने के लिये गेस्ट फैकल्टी/शिक्षक एवं सहायक फार्म मैनेजर के पदों पर एक सेमेस्टर के लिये मानदेय आधारित नियोजन की सूचना।**

विवरण :— पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज में वेटनरी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा पिछले दौरे में शिक्षकों तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों की कमी पर आपत्ति प्रकट की है। अतः वेटनरी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित MSVE-2016 मानकों को आवश्यकतानुसार पूरा करने के लिये एम्प्लॉयमेंट नोटिस सं० 04/2025 के माध्यम से वॉक इन इन्टरव्यू आयोजित कर गेस्ट फैकल्टी/शिक्षक (13 पद) एवं असिस्टेंट फार्म मैनेजर (02 पद) के पदों पर एक सेमेस्टर के लिये मानदेय आधारित संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी की गयी। गैस्ट फैकल्टी/शिक्षक के पद की योग्यता सहायक प्राध्यापक के अनुरूप तथा असिस्टेंट फार्म मैनेजर की योग्यता MSVE मानकों के अनुसार निर्धारित की गयी थी। मानदेय की राशि 23वीं एकेडमिक कॉउसिंल से अनुमोदित तथा प्रबंधन बोर्ड की 26वीं बैठक में सम्पुष्ट की गयी है। निम्नलिखित चार (4) गैस्ट फैकल्टी/शिक्षक एवं एक (1) असिस्टेंट फार्म मैनेजर (अस्थायी) द्वारा योगदान दिया गया है :—

क्र०	नाम	विभाग	योगदान की तिथि
1	Dr. Deepanker Bisht	Guest Faculty- Veterinary Biochemistry	15.10.2025 (A/N)
2	Dr. Nripendra Singh	Guest Faculty- Veterinary Anatomy	31.10.2025 (A/N)
3	Dr. Akanksha Yadav	Guest Faculty- Veterinary Public Health & Epidemiology	29.11.2025 (A/N)
4	Dr. Vaka Harideep	Guest Faculty- Veterinary Anatomy	03.11.2025 (A/N)
5	Mr. Nihal Ojha	Assistant Farm Manager-Agriculture (Temporary)	06.10.2025 (F/N)

उपरोक्त तथ्य प्रबंधन बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय — **नोट किया गया।**

कार्यावली संख्या—27.5 **बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं अंगीभूत संस्थानों के लिये वेतनस्तर—1 से 5 के वेतनमान में स्वीकृत 34 गैर शैक्षणिक पदों के वेतनमान तथा पद नाम यथावत रखते हुये नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने की दिशा में पद संबंधित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता के निर्धारण/अनुमोदन के संबंध में।**

विवरण :— बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं अंगीभूत संस्थानों के लिये वेतनस्तर—1 से 5 के वेतनमान में स्वीकृत 34 गैर—शैक्षणिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने की दिशा में

विश्वविद्यालय परिनियम के अध्याय–VII की कंडिका–7.1.22 के आलोक में पदों से संबंधित Essential and Desirable Qualifications, अनुभव, अन्य अर्हता व नियुक्ति प्रक्रिया एतद् निमित्त गठित समिति द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

वेतनस्तर–1 से 5 के वेतनमान में स्वीकृत 34 गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने की दिशा में पदों से संबंधित प्रस्तुत की गई अनिवार्य एवं वांछित योग्यता (Essential and Desirable Qualifications), अनुभव, अन्य अर्हता व नियुक्ति प्रक्रिया, विमर्शोपरांत अनुमोदित किया गया।

कार्यावली संख्या–27.6

बिहार पशु विज्ञान विश्वविवद्यालय, पटना में सेवानिवृत कर्मियों का पुनर्नियोजन एवं सांविदा के आधार पर पुनर्नियोजित कर्मियों के सेवा विस्तार अनुमोदन के संबंध में।

विवरण :–

(क) बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में सेवानिवृत कर्मियों का पुनर्नियोजन विश्वविद्यालय कार्यहित में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 के अध्याय–X की कंडिका 10.4 में निहित प्रावधान के आलोक में विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की अनुमोदन की प्रत्याशा में योगदान की तिथि से छः माह के लिये किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र० सं०	नाम	पदनाम	पुनर्नियोजन अवधि	
			योगदान की तिथि	सेवा अवधि / कार्यालय आदेश
1.	डॉ० सुचेता सिन्हा	पुनर्नियोजित संविदा अधारित कनीय शोध सहायक, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना	22.09.2025	22.09.2025 से छः माह (O.O.No.-BASU/ Reg./Rect/ F.No.-324 (Part-I)/244 (Memo No-1017) dated 28.08.2025) and O.O.No.-BASU/Reg./ Rect/F. No.-382/Rect./339 (Memo No-1347) dated 06.10.2025
2.	श्री राधा रमण सिंह	पुनर्नियोजित संविदा अधारित डेयरी ओभरसीयर, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना	01.11.2025	01.11.2025 से छः माह (O.O.No.-BASU/ Reg./ Rect/ F.No.-324 (Part-I)/374 (Memo No.-1445) dated 24.10.2025) and (O.O.No.-BASU/ Reg./ Rect/F.No.-391/416 (Memo No-1650) dated 10.12.2025

(ख) विश्वविद्यालय कार्यहित में गैर–शैक्षणिक पदों पर पुनर्नियोजित संविदाकर्मी का सेवा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप सेवा अवधि का विस्तार यथा अगले छः माह / 65 वर्ष होने तक, पूर्ववर्ती शर्तों के अनुरूप प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र० सं०	नाम	पदनाम	योगदान की तिथि	विस्तारित सेवा अवधि / कार्यालय आदेश
1.	ई० बिनोद कुमार झा	निदेशक, कार्य एवं संयंत्र, (संविदा के आधार पर), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	27.09.2021	27.09.2025 से 65 वर्ष पूरे होने तक (16.02.2026) (O.O.No.-BASU/Reg. /Rect/ F.No.-309/270 (Memo No-1169) dated 23.09.2025
2.	ई० विजय कुमार अलवेला	उप संपदा पदाधिकारी, (संविदा के आधार पर) बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	26.10.2021	26.10.2025 से 25.04.2026 तक (O.O.No.-BASU/Reg. /Rect/ F.No.-309/345 (Memo No-1355) dated 07.10.2025

3.	श्री बिमलेश प्रसाद सिंह	पुनर्नियोजित संविदा अधारित निम्न वर्गीय लिपिक, संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	03.06.2025	03.12.2025 से 02.06.2026 तक (O.O.No.-BASU/Reg. /Rect/F.No.-324 (Part-I)/387 (Memo No-1504 dated 13.11.2025

उपरोक्त तालिकानुरूप संविदा आधारित नियुक्ति/सेवा विस्तार पर प्रबंधन बोर्ड का घटनोत्तर अनुमोदन निवेदित है।

निर्णय

1. अनुमोदित।
2. एतद्क्रम में सुझाव दिया गया कि आवश्यकता आधारित सेवा निवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों की सेवा संविदा के अधार पर लेने की कारवाई सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक 3/एम0–63/2013सा0प्र0 10000/पटना–15, दिनांक 10.07.2015 के आलोक में की जाय,
3. नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया त्वरित गति से सम्पन्न की जाए।
4. अति विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका 10.4 में निहित प्रावधान के आलोक में सेवा निवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों का पुनर्नियोजन की जा सकेगी।

कार्यावली संख्या–27.7 **Re-constitution of Research Council, Bihar Animal Sciences University, Patna.**

विवरण :–

It is briefed that the Research Council of Bihar Animal Sciences University was constituted and notified vide Memo No. 409 dated 27.04.2023 for a term of three years and its duration will be over by 27/04/2026.

Hence, the reconstitution of the Research Council is therefore needed so that mandated activities of the Directorate shall go on smoothly.

Director Research of the University vide its F.No. 02/DR/ASU/2025/5405 dated 31/12/2025, the following agenda has been propsed for the re-constitution of Research Council of BASU, Patna -

A. Inclusion of two eminent scientists under the Research Council of BASU, in the field of Animal Sciences and allied subjects as per section 14 of chapter III sub head VII of Bihar Animal Science University Act, 2016.

1. Dr. Yashpal Singh Malik, Joint Director, ICAR-IVRI, Mukteshwar
2. Dr. Ashok Kumar Balhara, Principal Scientist, APR Division, ICAR-CIRB

B. Similarly, as per Point No. VIII, four persons may be co-opted by the research council for having adequate representation of different sectors of Animal Sciences and allied fields

1. Kumar Astitva, Priyamvada Farms, Reotith Darbar, Village:- Reotith, Ps :- Baikunthpur, Distt:- Gopalganj, Bihar Pin:- 841409.
2. Dr. Jeetendra Varma, President, WVPA India, Flat G-01, Fortuna Classic Apartments, 12 Main, Canara Bank Layout, Sahakarnagar, Bangalore 560097.
3. Mr. Hari Mohan Singh, Fisheries Sector, Village + P.O. Raghauli, Via-Kamtaul, District- Madhubani, Bihar.
4. Dr. Pawan Kumar, Managing Director, Hitech Nutrisol Pvt. Ltd., Hajipur, Bihar.

C. **In addition to above, two special invitee's as mentioned below may be included as per statute of the university:**

a. Managing Director of Cooperative Milk Federation (COMFED) of Bihar.

b. Project Director, Bihar Livestock Development Agency, Bihar, Patna.

निर्णय — अनुमोदित।

कार्यावली संख्या–27.8 — **बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 की कंडिका– 8.6 (v) एवं (vi) में संशोधन के संबंध में।**

विवरण :– बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 की कंडिका–8.6 की उप–कंडिका (v) एवं (vi) में University General Provident Fund से Non-refundable advance की स्वीकृति से संबंधित प्रावधान को बिहार सामान्य भविष्य निधि (यथा संशोधित) के नियम–15 के अनुरूप संशोधन हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 की कंडिका सं0	विद्यमान / वर्तमान प्रावधान	संशोधन हेतु प्रस्तावित प्रावधान
8.6(v)	If a subscriber, who has completed twenty years of qualifying service or is to retire within five years, needs an advance for building or purchasing a house or land for constructing a house, or daughter's marriage, treatment of his own or his family; He may be granted a non-refundable advance to the extent of 75% of the amount standing to his credit in his Provident Fund Account.	(1)'Non-refundable advance' means the non-refundable amount of advance sanctioned to the subscriber for one or more purposes mentioned in this rule. (2) After completion of one year of regular service and on an application from the subscriber, non-refundable advance from accumulated amount in his/her accounts may be sanctioned for the following one or more purposes: - (a) meeting the cost of higher education, including the travelling expenses of the subscriber or any actually dependent child of the subscriber in the following cases: - (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and (ii) for any medical, engineering or other technical education or specialise course in India beyond the High School stage; (b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/ marriage of the subscriber or his sons or his daughters or if he has no daughter and any other female relation actually dependent on him; (c) meeting the expenses in connection with the illness of contributor, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him; (d) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by State Housing Board or a House Building Society;

		(e) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence which is not purchase of Home Site taken before the date of receipt of the application; (f) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose; (g) constructing a house on a site purchased under above clause (f); (h) commemoration function (sharaddah) or such functions which subscriber is religiously bound to perform; (i) for incurring expenditure to meet the cost of legal proceedings of the subscriber; (j) to meet the cost of repairing, maintaining,renovating, reconstructing, addition or alteration of an ancestral house/residential building by the subscriber; (k) within one year but three months before superannuation of the subscriber, non-refundable advance may be sanctioned without mention of any purpose.
8.6(vi)	Non-refundable advance shall be granted maximum twice in the entire service.	Competent authority, at any time may sanction non-refundable advance for one or more purposes as mentioned in clause 8.6(v) subject to the following terms: - (a) New non-refundable advance shall be sanctioned one year after the sanction of previous non-refundable advance but under exceptional circumstances the Vice-Chancellor may relax this provision. (b) Not more than three fourth of the accumulated amount in the account of subscriber shall be sanctioned as the amount of non-refundable advance. (c) No non-refundable advance shall be sanctioned within three months before the superannuation of the subscriber."

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबंधन बोर्ड का स्वीकृति/अनुशंसा निवेदित है। अनुशंसोपरांत विश्वविद्यालय परिनियम में यथा प्रस्तावित संशोधन की अनुमति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–39 (3) के अधीन कुलाधिपति से प्राप्त की जा सकेगी एवं तद्नुसार यथास्थिति अधिनियम की धारा 39 (5) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित की जा सकेगी।

निर्णय **स्वीकृत एवं अनुशंसित।**

पूरक कार्यावली

कार्यावली संख्या–27.9 **विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् की दिनांक 03.01.2026 को संपन्न 24वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की संपुष्टि के संबंध में।**

विवरण :– विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् की दिनांक 03.01.2026 को संपन्न 24वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन विश्वविद्यालय पत्रांक–BASU/Reg./Acad./F.No.-01(21)/1771 दिनांक–05.01.2026 द्वारा परिचालित है।

परिचालित कार्यवाही प्रतिवेदन प्रबंधन बोर्ड के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय **सम्पुष्ट।**

कार्यावली संख्या–27.10 **विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 14.01.2026 को सम्पन्न 12वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की संपुष्टि के संबंध में।**

विवरण :– विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 14.01.2026 को सम्पन्न 12वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन प्रबंधन बोर्ड के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय **सम्पुष्ट।**

कार्यावली संख्या–27.11 **अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य मामले**

कार्यावली संख्या–27.11.1 **डॉ० संजीव कुमार, कुलसचिव (निलंबित), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के विरूद्ध संस्थित विभागीय कारवाई के संबंध में।**

निर्णय **कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि एतद्संबंधी मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है। तद्नुरूप महाधिवक्ता, बिहार से इस संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त कर यथोचित कारवाई हेतु प्रबंधन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत की जाय।**

कार्यावली संख्या–27.11.2 चर्चा के क्रम में श्री के०पी०एस० केशरी, माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि बिहार सरकार के अधीन विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सा पदाधिकारी का नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। एतदप्रयोजनार्थ डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के साथ विचार–विमर्श कर पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाय ताकि पशु चिकित्सा पदाधिकारियों का क्षमतावर्धन (capacity building) हो सके। इस संबंध में प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान किया गया।

बैठक के अंत में कुलसचिव (प्रभारी)–सह–गैर सदस्य सचिव, विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों एवं प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापन किया। तदोपरांत बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह०/–
कुलसचिव (प्रभारी)–सह–गैर सदस्य सचिव,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
पटना–14

ह०/–
कुलपति–सह–अध्यक्ष,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
पटना–14

ज्ञापांक 1836/कु०स०/बि०प०वि०वि०, पटना **दिनांक 14/01/2026**

प्रतिलिपिः–

1. विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
2. निदेशक अनुसंधान बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को कार्यावाली सं0 27.7 पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कारवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
3. वित्त नियंत्रक, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को कार्यावाली सं0 27.10 पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कारवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
4. सहायक कुलसचिव (नियुक्ति एवं शिक्षा), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को कार्यावाली सं0 क्रमशः 27.2 से 27.6 एवं 27.9 पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कारवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5. सर्व–नियंत्री पदाधिकारी, आई०सी०टी०, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14.1.26
कुलसचिव (प्रभारी)–सह–गैर सदस्य सचिव,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
पटना–14

प्रतिलिपिः– कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।